प्रैस नोट

श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्त्रा देवी एवं श्री केदार नाथ श्राईन बोर्ड, यमुनानगर

श्री कपालमोचन, श्री बद्रीनारायण, श्री मन्त्रा देवी एवं श्री केदारनाथ श्राईन बोर्ड, यमुनानगर में आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न सेवाएं लेने हेतू इच्छुक एजेन्सियों से सील बन्द निविदायें दिनांक 06.7.2017 को प्रातः 10:00 बजे तक उपमण्डल अधिकारी(ना0), बिलासपुर के कार्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं। इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी www.yamunanagar.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।

उप मण्डल अधिकारी(ना0)-कम-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्राईनबोर्ड, बिलासपुर।

श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्त्रा देवी एवं श्री केदार नाथ श्राईन बोर्ड, यमुनानगर

श्री कपालमोचन, श्री बद्रीनारायण, श्री मन्त्रा देवी एवं श्री केदारनाथ श्राईन बोर्ड, यमुनानगर में लेखा सहायक-1, स्टोरकीपर-कम-केयरटेकर-1, सहायक पुजारी-2, कम्प्यूटर ऑपरेटर-1, स्वीपर-4 तथा अन्य आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेवाएं लेने हेतू आउटसोर्स पॉलिसी के तहत इच्छुक आउटसोर्स एजेन्सियों से सील बन्द निविदायें दिनांक 06.7.2017 को प्रातः 10:00 बजे तक उपमण्डल अधिकारी(ना0), बिलासपुर के कार्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं। जिसकी तय धरोहर राशि 25,000/-रुपये ड्राफ्ट के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्राईनबोर्ड, बिलासपुर के नाम देय होगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12:00बजे गठित कमेटी द्वारा मौके पर खोल कर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा।

उप मण्डल अधिकारी(ना0)-कम-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्राईनबोर्ड, बिलासपुर।

शर्तें-

1. ठेकेदार/फर्म को टैन्डर की धरोहर राशि 25000/-रुपये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्राईन बोर्ड बिलासपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। जिसके बिना उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
2. फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन नं0, ई.एस.आई./ई.पी.एफ. नं0 तथा शपथपत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी विभाग से ब्लैकलिस्ट ना हो। कंर्मचारियों को वेतन उपायुक्त, यमुनानगर द्वारा वर्तमान में निर्धारित डी.सी. रेट के अनुसार से दिया जायेगा। फर्म को डी.सी.रेट के ऊपर सर्विस चार्जिस दिये जायेंगे। न्यूनतम सर्विस चार्ज वाली एजेन्सी को कार्य दिया जायेगा।
3. किसी भी पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की सेवाएं सन्तोषजनक ना होने की स्थिति में उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।
4. उपरोक्त पदों की नियुक्ति के लिये किसी भी समय स्थिति अनुसार कर्मचारियों की सं0 में बढौतरी या कमी की जा सकती है।
5. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को आउटसोर्स पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा जारी की गई सभी हिदायतों को मानना अनिवार्य होगा।
6. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी की सेवाओं के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
7. फार्म में निर्धारित दस्तावेज तथा वित्तीय बोली(Bid) से सम्बन्धित दस्तावेज बन्द लिफाफे में अलग-अलग स्वीकार किये जायेंगे।
8. मुख्य प्रशासक-कम-उपायुक्त, यमुनानगर अथवा उपमण्डल अधिकारी(ना0)-कम-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्राईन बोर्ड बिलासपुर को बिना कोई कारण बताए टैन्डर रद्द करने का अधिकार होगा।